कार्यालयः गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(मानचित्र स्वीकृति पत्र)

मानचित्र सं.21/म/37/जोन–1/13–14 दिनाँक: 28-10-13

मै. विभोर वैभव इन्फाहोम प्रा.लि. व मै. मिलन इन्फास्ट्रक्चर एवं डवलपर्स प्रा.लि.
द्वारा मैनेजर श्री योगेन्द्र सिंह,
एस–551, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर,
दिल्ली–110092

आपके प्रार्थना पत्र दिनाँक 17.04.13 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग मानचित्र खसरा सं. 1119 व 1125 ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनाँक 03.10.13 को निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है :–

1. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी.डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नही होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई व्यय माँगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नही होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि सार्वजनिक सडक की ओर न खुले।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण नही किया जायेगा।
8. सडक सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. यह मानचित्र उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
11. सडक पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तो का पालन करना होगा।
13. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनाँक 27.05.13 व 23.10.13 का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ.प्र. राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम प्रत्येक हेक्टेयर 50 पेड लगाना अनिवार्य होंगे।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण–पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16. 300 वर्गमी. या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
17. 12.00 मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बधित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
18. संरचना सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा तथा आप द्वारा संरचरना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
19. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं समस्त विकास कार्य पूर्ण करानें होंगे।
20. निर्धारित 24.0 मी. महायोजना मार्ग में विस्तार हेतु स्थल पर रोड के भाग को छोडते हुए निर्माण/विकास कार्य किया जायेगा। बाउण्ड्री वाल का निर्माण रोड वाइडेनिंग की भूमि के बाद किया जायेगा।
21. 15 प्रतिशत आवश्यक ग्रीन जन सामान्य हेतु छोडना होगा।
22. भू–स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारीं आपकी होगी। किसी वाद/विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा तहसील एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा भूमि चिन्हित कराकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
23. उक्त क्षेत्र में 75 प्रतिशत बाहय विकास शुल्क जमा होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य करायें जायेंगे।
24. नाली, चकरोड, ग्राम समाज व निगम/सरकारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य/विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
25. अतिरिक्त शर्ते स्वीकृति पत्र के साथ संलग्न हैं एवं मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा है, जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक : 1. एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक
गा.वि.प्रा., गाजियाबाद

पत्रांक : एमपी/ दिनाँक /
प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक

अधिशासी अभियन्ता कार्यालय

विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-VII
पटेलनगर, गाजियाबाद

संख्या ....2262........ / वि०न०वि०ख०तृ०/गाजियाबाद/अनुबन्ध   दिनांक 06.8.14

श्री ....M/S. MILAN INFRASTRUCTURE
........(P) LTD.
....K.N. 1119, 1125, NOORNagar
Ghaziabad.

Load Sanctioned 950KW
Ist Phase - 250KW

महोदय,

विषय :- विद्युत कनेक्शन देने हेतु एस्टीमेट डिमाण्ड / (टी.सी.)

आपको सूचित किया जाता है कि ....250KW.... ला०पा० औद्योगिक को विद्युत स्वीकृत नं०....9122 CE.... दिनांक ....27.6.14........ देने में अंकन रुपये ....77045-.................. का एस्टीमेट स्वीकृत हुआ है। एस्टीमेट स्वीकृत नं० ......194/14-15.................. के बिल है।

अतः आपसे निवेदन है कि आप निम्नलिखित धनराशि इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर ... पर अंकित दिनांक से 15 दिन के अन्दर जमा कर दें अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप विद्युत कनेक्शन ... के इच्छुक नहीं है और स्वीकृति रद्द करके अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

विवरण		धनराशि
1- जमानत		
2- लाईन का खर्चा ( ) यह धन वापिस नहीं होगा। as per Point No. 2 of sanc. letter No 9122 dtd 23.6.14	Surety -	रु० 2,78,000-
3- स्थानांतरण चार्जेज	→ Surety -	10 00 000 -
4- अतिरिक्त साधन व नाम परिवर्तन हेतु नवीन /	15% Supervision charges	रु० 77045 -
अतिरिक्त सु० धन	S/L	रु० 1056000 -
	Total -	2411045 -

Rs Twenty four Lacs eleven thousand forty five only

निर्देश :

1 बी० एण्ड एल० फार्म व मीटर इन्सपेक्शन फीस जमा करने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही होगी।

2 उपरोक्त धनराशि जमा करने के पश्चात् अनुबन्ध हेतु रु० 100/- स्टाम्प पेपर लेकर आये और साथ में दो गवाह भी लायें।

3 यदि साझेदार अनुबन्ध के लिए न आना चाहे और अपने स्थान पर किसी एक साझेदार व अधिकारी को ... चाहे तो प्रमाणित अधिकार-पत्र कार्यालय को भेजना आवश्यक है

4 यदि आपको उपरोक्त धनराशि या लाइन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो उपरोक्त ... इस कार्यालय को सूचित करें। अथवा यदि आप उक्त निर्धारित समय में धनराशि जमा करने व अनुबन्ध ... के 15 दिन के अन्दर नहीं आये तो समझा जायेगा कि आप विद्युत कनेक्शन को लेना नहीं चाहते और आपकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मान ली जायेगी।

5 आप समय-2 पर आकर परिषद् द्वारा लागू की गई विद्युतीय उपभोग की दरों व नियमों का पालन करें।

6 यदि आपके नाम या आपके नियमित परिवार में शामिल खाते वाले किसी अन्य सदस्य के नाम विद्युत के अन्य किसी कनेक्शन का बिल भुगतान बकाया हो तो आपका यह अनुबन्ध कभी भी निरस्त किया जा सकता है।

7 अनुबन्ध के समय रजिस्ट्रेशन प्लाट का अधिकार पत्र, साईट प्लान अधिकार पत्र, एक साझेदारी सम्बन्धी आवश्यक कागजात तथा स्वामित्व का शपथ-पत्र भी लेकर उपस्थित हो।

8 भूल चूक लेनी देनी।

9 पहले से जमा सुरक्षित धनराशि की रसीद व विद्युत मीटरों का विवरण तीन प्रतिलिपियों में जो इस विद्युत सम्बन्ध से सम्बन्धित है, समायोजन हेतु साथ लायें।

10 उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन केवल इस आधार पर दिया जायेगा कि I.S. Specification का अपने ... पर (L.T. Shunt Capacitor) वांछित स्वीकृति के लोड पर लगा देना।

11 मीटर का कमरा (Meter-Room) प्रवेश द्वार (Main Gate) के बाहर होना आवश्यक है।

12 कृपया उपरोक्त राशि के अलग-अलग ड्राफ्ट बनवाकर लायें।

250KW = 278KVA × 1000
950KW = 1056 × 1000

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-VII

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक 126 / प्रवर्तन जोन–1 / 2015 दिनांक 21.3.15

आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र

मैसर्स मिलन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0 एवं मै0 विभोर वैभव इन्फ्रा होम प्रा0लि0 द्वारा खसरा सं0–1119 व 1125, ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन के टावर–सी (आंशिक) तथा टावर–डी के सम्बन्ध में आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों का परीक्षण श्री पी0बी0 यादव, अवर अभियन्ता एवं श्री पी0के0 शर्मा, सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.03.2015 को कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप सही पाये जाने पर आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी करने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 19.03.2015 को प्रदान की गयी है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15 क (2) के अन्तर्गत टावर–सी (आंशिक) तथा टावर–डी का आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र निम्न शर्तो के साथ निर्गत किया जाता है:–

शर्तें:–

1. पक्ष को पूर्व स्वीकृत मानचित्र व संशोधित स्वीकृत मानचित्र की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
2. अग्निशमन उपकरणों को सदैव कियाशील रखना होगा एवं अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अंकित शर्तो का पालन करना होगा तथा प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण कराना होगा एवं नवीनीकरण प्रमाण–पत्र की एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. संरचना सुरक्षा एवं अन्य सम्बन्धित उपकरणों की सुरक्षा का उत्तर दायित्व स्वयं निर्माणकर्ता का होगा।
4. किसी भी विपरीत परिस्थिति में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता का होगा।
5. आवेदक/निर्माणकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत सभी शपथ पत्रों एवं वचनबद्धताओं का अनुपालन से करना होगा किसी भी शपथ पत्र/वचनबद्धता की किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में निर्गत आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 के प्राविधानों के अनुपालन में प्रस्तुत Declaration का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
7. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में बढे हुए विकास व्यय या अन्य कोई शुल्क की मांग की जाती है तो वह शुल्क निर्माणकर्ता को प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
8. वाहय विकास कार्य पूर्ण होने पर सीवर कनेक्शन व वाटर कनेक्शन की अनुमति गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने का दायित्व निर्माणकर्ता एजेन्सी का होगा।
9. नियमानुसार आर0डब्ल्यू0ए0 के गठन एवं आर0डब्ल्यू0ए0 को सभी सुविधाओं सहित हस्तानान्तरण तक समस्त सुविधाओं आदि का अनुरक्षण डेवलपर द्वारा ही कराया जायेगा।
10. रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सदैव कियाशील रखना होगा।
11. वाहय विकास कार्य पूर्ण होने पर सीवर कनैक्शन व वाटर कनैक्शन की अनुमति गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने का दायित्व निर्माणकर्ता/एजेन्सी का होगा

20.3.15
(पी0बी0 यादव)
अवर अभियन्ता

20/3/15
(पी0के0 शर्मा)
सहायक अभियन्ता

0

...किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है । लागू भवन उपविधियों के अन्तर्गत ऐसा
। निर्माण नही है जो शमन न कराया गया है । अतः उक्त भूखण्ड पर किए गए निर्माण हेतू पूर्णता प्रामाण पत्र निर्गत किया

For Vibhor Vaibhav Infra Home Pvt. Ltd.

Auth. Signatory

न अभिलेख
1. कम्पलीशन् फॉर्म
2. एक सैट ड्राईग
3. रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रमाण पत्र
4. हिन्डन एअरफोर्स हाईट एन.ओ.सी.
5. कम्पाउन्डिग मानचित्र, लेटर, व जमा रसीद /संशोधित मानचित्र
6. पंजिकृत वास्तुविद प्रमाण पत्र

For Milan Infrastructures
And Developers Pvt. Ltd.

Auth. Sign.

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर
(अधिकृत होने के प्रमाण पत्र सहित

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक : 525/12/भू0अ0अ0/2015 दिनांक 23/1/2015

मै0 मिलन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डवलपर्स प्रा0लि0,
प्लॉट नं0–20, फर्स्ट फ्लोर,
सेक्टर–14, कौशाम्बी,
गाजियाबाद–201010 ।

विषयः मिलन अर्थ ग्रुप हाउसिंग खसरा संख्या 1125 नूरनगर मानचित्र संख्या 21/एम0पी0/37/जोन–1/2013–14 दिनांक 28.10.2013 में ब्लॉक ए, सी और डी के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 22.01.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके द्वारा ग्राम नूरनगर, परगना लोनी, तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 1125 की भूमि पर हो रहे निर्माण के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि आपके पत्र के साथ संलग्न स्वीकृत मानचित्र संख्या 21/एम0पी0/37 /जोन–1/2013–14 दिनांक 28.10.2013 की छायाप्रति, रजिस्ट्री की छायाप्रति, कुर्रेबन्दी की डिग्री दिनांक 02.02.2010 की छायाप्रति, आर्किटेक्ट द्वारा दियें गये प्रमाण पत्र एवं मौके की स्थिति के अनुसार खसरा संख्या 1119 एवं 1125मि0 कुल क्षेत्रफल 21604 वर्गमीटर की भूमि पर मै0 मिलन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डवलपर्स प्रा0लि0 एवं मै0 विभोर वैभव इन्फ्राहोम प्रा0लि0 द्वारा संयुक्त रूप से ग्रुप हाउसिंग मानचित्र संख्या 21/एम0पी0/37 /जोन–1/2013–14 दिनांक 28.10.2013 द्वारा स्वीकृत कराकर निर्माण कराया जा रहा है। आर्किटेक्ट द्वारा जारी प्रमाण पत्र व मौके की स्थिति के अनुसार 15508 वर्गमीटर भूमि पर मै0 विभोर वैभव इन्फ्राहोम प्रा0लि0 द्वारा अपनी परियोजना का निर्माण एवं 6096 वर्गमीटर भूमि पर मै0 मिलन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा ए, सी और डी ब्लॉक का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उक्त सूचना उपलब्ध अभिलेखों एवं मौके की स्थिति के अनुसार दी जा रही है। कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष कार्याधिकारी

f/15/letter/33

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Dr. Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Parisar
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : up.seiaa@yahoo.com

Ref. 1271 /Parya/SEAC/ 445/2010 /AA(S) Dated 02/6/11 May, 2011

To,

Shri Yagyadatt Tyagi,
Corporate Office,
Plot No. 20, Sector-14, 1st Floor, Kaushambi (Ghaziabad),
U.P. 201010

Subject- Environmental Clearance for Group Housing Project for "Shri Yagyadatt Tyagi, Baij Singh Tyagi, Arvind Tyagi & Kamla Devi" at Raj nager ext., Khasra No. 1119 and 1125,Noor nagar, Ghaziabad, U.P. of M/S Milan Infrastucture & developers.

Dear Sir,

Please refer to your letter dated nil addressed to The Director and Secretary, SEAC, U.P., Directorate of Environment- Govt. of U.P. Dr. Bhimrao Ambedkar Paryavaran Parisar, Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow on the subject as above. The State Level Expert Appraisal Committee has considered the case and has been given to understand that:

1. Environmental Clearance is sought for Group Housing Project for "Shri Yagyadatt Tyagi, Baij Singh Tyagi, Arvind Tyagi and Smt. Kamla Devi "at Raj nager ext., Khasra No. 1119 and 1125,Noor nagar,Ghaziabad, U.P.
2. The total plot area of the project is 26020.00 sq.mt. and proposed built up area is 67,187.873sq.mt.
3. The proposal is covered under category 8a of the EIA notification dated 14/9/2006 and the amendments thereof.
4. The project consist 04 blocks and 762.nos. of dwelling unit
5. Landscape area for the proposed project is 7806.00 sqm., which is 30% of the total plot area.
6. The total water requirement for the project is 357 KLD and the requirement will be met through Ghaziabad municipal water Supply and be augmented with bore wells.
7. 289 KLD waste water is expected generate and it will be treated in STP of 170 KLD capacity with MBR technology. 163 KLD waste water shall be discharged into CSTP Ghaziabad.
8. The total proposed parking for the project is 724 ECS.

Based on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (60th meeting held on 25/02/2011) on the above said project, the State Level Environment Impact Assessment Authority (31st meeting held on 08/04/2011) has decided to grant the Environmental Clearance to the project subject to effective implementation of the following conditions:

General Conditions :

1. It shall be ensured that all standards related to ambient environmental quality and the emission/effluent standards as prescribed by the MoEF are strictly complied with.
2. It shall be ensured to obtain the no objection certificate from the U.P Pollution Control Board before start of construction.
3. It shall be ensured that no construction work or preparation of land by the project management except for securing the land is started on the project or the activity without the prior environmental clearance.
4. The proposed land use shall be in accordance to the prescribed land use. A land use certificate issued by the competent authority shall be obtained in this regards.
5. All tree- felling in the project area shall be as permitted by the Forest Department under the prescribed rules. Suitable clearance in this regard shall be obtained from the competent authority.

ıact of drainage pattern on environment should be provided.

7. Surface hydrology and water regime of the project area within 10 km should be provided.
8. A suitable plan for providing shelter, light and fuel, water and waste disposal for construction labour during the construction phase shall be provided along with the number of proposed workers.
9. Measures shall be undertaken to recycle and reuse treated effluents for horticulture and plantation. A suitable plan for waste water recycling shall be submitted.
10. It shall be ensured to obtain proper permission from competent authorities regarding enhanced traffic during and due to construction and operation of project.
11. It shall be ensured to obtain necessary clearances from the competent authority on the abstraction and use of ground water during the construction and operation phases.
12. Hazardous/inflammable/Explosive materials likely to be stored during the construction and operation phases shall be as per standard procedure as prescribed under law, Necessary clearances in this regards shall be obtained.
13. Solid wastes shall be suitably segregated and disposed. A separate and isolated municipal waste collection center should be provided. Necessary plans should be submitted in this regard.
14. Suitable rainwater harvesting system as per designs of Ground Water Department shall be installed. Complete proposals in this regard should be submitted.
15. The emissions and effluents etc. from machines, Instruments and transport during construction and operation phases should be according to the prescribed standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.
16. Water sprinklers and other dust control measures should be undertaken to take care of dust generated during the construction and operation phases. Necessary plans in this regard shall be submitted.
17. Suitable noise abatement measures shall be adopted during the construction and operation phases in order to ensure that the noise emissions do not violate the prescribed ambient noise standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.
18. Separate stock piles shall be maintained for excavated top soil and the top soil should be utilized for preparation of green belt.
19. Sewage effluents shall be kept separate from rain water collection and storage system and separately disposed. Other effluents should not be allowed to mix with domestic effluents.
20. Hazardous/Solid wastes generated during construction and operation phases should be disposed off as prescribed under law. Necessary clearances in this regard shall be obtained.
21. Alternate technologies for solid waste disposals (like vermin-culture etc.) should be used in consultation with expert organizations.
22. No wetland should be infringed during construction and operation phases. Any wetland coming in the project area should be suitably rejuvenated and conserved.
23. Pavements shall be so constructed as to allow infiltration of surface run-off of rain water. Fully impermeable pavements shall not be constructed. Construction of pavements around trees shall be as per scientifically accepted principles in order to provide suitable watering, aeration and nutrition to the trees.
24. The Green building Concept suggested by Indian Green Building Council, which is a part of CII-Godrej GBC, shall be studied and followed as far as possible.
25. Compliance with the safety procedures, norms and guidelines as outlined in National Building Code, 2005 shall be compulsorily ensured.
26. It is to ensure usage of dual flush systems for flush cisterns and explore options to use sensor based fixtures, waterless urinals and other water saving techniques.
27. It is to ensure exploration of options for use of dual pipe plumbing for use of water with different qualities such as municipal supply, recycled water and ground water etc.
28. It is to ensure usage of measures for reducing water demand for landscaping and using xeriscaping, efficient irrigation equipments & controlled watering systems.

29. It shall be ensured to make suitable provisions for using solar energy as alternative source of energy. Solar energy application should be incorporated for illumination of common areas, lighting for gardens and street lighting in addition to provision for solar water heating. Present a detailed report showing how much percentage of backup power for institution can be provided through solar energy so that use and polluting effects of DG sets can be minimized.
30. Make separate provision for segregation, collection, transport and disposal of e-waste.
31. Educate citizens and other stake-holders by putting up hoardings at different places to create environmental awareness.
32. Traffic congestion near the entry and exit points from the roads adjoining the proposed project site must be avoided. Parking should be fully internalized and no public space should be utilized.
33. It shall be ensured to prepare and present disaster management plan.
34. A report on the energy conservation measures confirming to energy conservation norms finalize by Bureau of Energy efficiency should be prepared incorporating details about building materials and technology, R & U Factors etc.
35. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of fly ash notification of September, 1999 and amended as on August, 2003 (The above condition is applicable only if the project lies within 100 km of Thermal Power Station).
36. The DG sets to be used during construction phase should use low sulphur diesel type and should conform to E.P. rules prescribed for air and noise emission standards.
37. Alternate technologies to Chlorination (for disinfection of waste water) including methods like Ultra Violet radiation, Ozonation etc. shall be examined and a report submitted with justification for selected technology.
38. The green belt design along the periphery ~~of the plot shall~~ achieve attenuation factor conforming to the day and night noise standards prescribed for residential land use. The open spaces inside the plot should be suitably landscaped and covered with vegetation of indigenous variety.
39. The construction of the building and the consequent increased traffic load should be such that the micro climate of the area is not adversely affected.
40. The building should be designed so as to take sufficient safeguards regarding seismic zone sensitivity
41. High rise buildings should obtain clearance from aviation department or concerned authority of
42. Suitable measures shall be taken to restrain the development of small commercial activities or slums in the vicinity of the complex. All commercial activities should be restricted to special areas earmarked for the purpose.
43. It is suggested that literacy program for weaker sections of society/women/adults (including domestic help) and under privileged children could be provided in a formal way.
44. The use of Compact Fluorescent lamps should be encouraged. A management plan for the safe disposal of used/damaged CFLs should be submitted.
45. It shall be ensured that all Street and park lighting is solar powered. 50% of the same may be provided with dual (solar/electrical) alternatives.
46. Solar water heater shall be installed to the maximum possible capacity. Plans may be drawn up accordingly ad submitted with justification.
47. Treated effluents shall be maximally reused to aim for zero discharge. Where ever not possible, a detailed management plan for disposal should be provided with quantities and quality of waste water.
48. The treated effluents should normally not be discharged into public sewers with terminal treatment facilities as they adversely affect the hydraulic capacity of STP. If unable, necessary permission from authorities should be taken
49. Construction activities including movements of vehicles should be so managed so that no disturbance is caused to nearby residents.

50. All necessary statutory clearances should be obtained and submitted before start of any construction activity and if this condition is violated the clearance, if and when given, shall be automatically deemed to have been cancelled.
51. Parking areas should be in accordance with the norms of MOEF, Government of India. Plans may be drawn up accordingly and submitted.
52. The location of the STP should be such that it is away from human habilitation and does not cause problem of odor. Odorless technology options should be examined and a report submitted.
53. The Environment Management plan should also include the break up costs on various activities and the management issues also so that the residents also participate in the implementation of the environment management plan.
54. Detailed plans for safe disposal of STP sludge shall be provided along with ultimate disposal location, quantitative estimates and measures proposed.
55. Status of the project as on date shall be submitted along with photographs from North,South, West and East side facing camera and adjoining areas should be provided.
56. Specific location along with dimensions with reference to STP, Parking, Open areas and Green belt etc. should be provided on the layout plan.
57. The DG sets shall be so installed so as to conform to prescribed stack heights and regulations and also to the noise standards as prescribed. Details should be submitted.
58. E-Waste Management should be done as per MoEF guidelines.
59. Electrical waste should be segregated and disposed suitably as not to impose Environmental Risk.
60. The use of suitably processed plastic waste in the construction of roads should be considered.
61. Displaced persons shall be suitably rehabilitated as per prescribed norms.
62. Dispensary for first aid shall be provided.
63. Health impacts, Socio-economic impacts, soil degradation factors and biodiversity indices should also be included in E.I.A. reports.
64. Safe disposal arrangement of used toiletries items in Hotels should be ensured. Toiletries items could be given complementary to guests, adopting suitable measures.
65. Diesel generating set stacks should be monitored for CO and HC.
66. Ground Water downstream of Rain Water Harvesting pit nearest to STP should be monitored for bacterial contamination. Necessary Hand Pumps should be provided for sampling. The monitoring is to be done both in pre and post monsoon, seasons.
67. The green belt shall consist of 50% trees, 25% shrubs and 25% grass as per MoEF norms.
68. A Separate electric meter shall be provided to monitor consumption of energy for the operation of sewage/effluent treatment in tanks.
69. An energy audit should be annually carried out during the operational phase and submitted to the authority.
70. Rapid EIA status should be undertaken for three months during the non monsoon period and the monitoring should be as per the latest norms of MoEF.

b. <u>Specific Conditions:</u>

1. Permission from Ghaziabad Municipal Authority should be taken prior to discharge of waste water into municipal sewer system.
2. Parking facilities should be calculated on the basis of MoEF/state by-laws norms and provision for higher should be provided.
3. Stack height should be calculated on the basis of combined DG sets capacity,.
4. Crèche facility shall also be provided during the operation phase.
5. Green area should be provided as per CPCB norms.
6. Provisions for corporate social responsibility should be made and report be submitted.

7. All internal roads should be minimum 09 mt. wide.
8. Proposal for social, corporate and Environmental responsibility shall be submitted within 03 months of receipt of this letter.

The project proponent will have to submit approved plans and proposals incorporating the conditions specified in the Environmental Clearance within 03 months of issue of the clearance. Failing this the environmental Clearance shall be deemed to be cancelled.

Necessary statutory clearances should be obtained and submitted before start of any construction activity. In the event of the violation of the condition the environmental clearance shall be automatically deemed to have been cancelled.

These stipulations would be enforced among others under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act.1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability (Insurance) Act, 1991 and EIA Notification, 2006 including the amendments and rules made thereafter.

This is to request you to take further necessary action in matter as per provision of Gazette Notification No. S.O. 1533(E) dated 14.9.2006 and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.

(Dr. C.S. Bhatt)
Member Secretary, SEIAA

Copy for necessary action to:

1. The Principal Secretary, Environment, U.P. Govt., Lucknow.
2. Dr. Nalini Bhatt, Director, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
3. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, (Central Region), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow.
4. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, PICUP Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow.

(Dr.Yashpal Singh)
Secretary, SEAC &
Director, Environment Directorate, Govt. of U.P

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0 सी0 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

F65272

संदर्भ संख्या . ./सी–1/एन0ओ0सी/जी–1042/2015. दिनॉक 30-7-15

सेवा में,

मैसर्स मिलन इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 लि0,
खसरा नं0 1125, ग्राम नूरनगर, राजनगर,
एक्सटेन्शन, एन0 एच0–58, जिला–गाजियाबाद।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनॉक–26/05/2015 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवम् सामन्य शर्तो (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क) स्थलः– मैसर्स मिलन इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 लि0,
खसरा नं0 1125, ग्राम नूरनगर, राजनगर,
एक्सटेन्शन, एन0 एच0–58, जिला–गाजियाबाद।

(ख) उत्पादन : भूखण्ड क्षेत्रफल ६०६६ वर्ग मीटर,
बिल्टप एरिया १६५७६.६२ वर्ग मीटर में आवासीय
एवं दुकानों का निमार्ण किया जाये।

मैसर्स मिलन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०, खसरा नं० 1125, ग्राम नूरनगर, राजनगर एक्सटेन्शन, एच० एच०–58 गाजियाबाद

5– घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा 85 के० एल० डी० से अधिक नही होगी। प्रस्तावानुसार एस० टी०पी० के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप निस्तारित किया जाये।

6– प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में **30.6.2015** तक अवश्य प्रस्तुत की जाये।

७– मैसर्स मिलन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०, खसरा नं० 1125, ग्राम नूरनगर, राजनगर एक्सटेन्शन, एन० एच०–58, जिला–गाजियाबाद द्वारा 6096 वर्ग मीटर, बिल्डअप एरिया १६५७६.८२ वर्गमीटर पर आवासीय एवं दुकानों का निमार्ण कार्य किया जाये। निमार्ण कार्य में भूगर्भ जल का प्रयोग नही किया जायेगा।

८– संस्था द्वारा प्रस्तावानुसार ८५ के० एल० डी० उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु १०० के० एल० डी० क्षमता का एस० टी० पी० स्थापित किया जायेगा।

९– संस्था द्वारा शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी०जी० सेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।

१०– सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एम० एस० डब्लू रूल्स २००० के प्राविधानों के अनुसार किया जाये।

११– म्युनिसीपल अथॉरिटी द्वारा बायोडिग्रेडिबुल वेस्ट के निस्तारण हेतु सुविधा स्थापित न किये जाने की स्थिति में संस्था द्वारा उक्त का निस्तारण परिसर के अन्दर वर्मीकम्पोस्टिंग/बायोकम्पोस्टिंग के द्वारा किया जाये।

१२– समस्त प्रस्तावित डी०जी०सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ साथ प्रस्तावानुसार चिमनी भी स्थापित की जायें।

१३– संस्था प्रस्तावनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।

१४– यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता पॉच वर्ष या बैंक गारण्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम जो पूर्व हो मान्य होगी।

१५– संस्था को निर्गत बैंक गारण्टी पत्रांक– एफ–६३६१७/सी–१/एन०ओ०सी०–जी–१०४२/२०१५ दिनांक ३०/०६/२०१५ का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

No. Air HQ/S 17726/4/ATS(PC-DCCCXXXVII)
Dy. No. 621/F/D(Air-II)
Government of India
Ministry of Defence

New Delhi, the 17th Nov, 2012.

To

M/s Milan Infrastructure &
Developers Pvt Ltd.
Plot No. 20, 1st Floor, Sector – 14,
Kaushambi, Ghaziabad.

Subject : **Issue of 'NOC' for construction of building for group housing complex at Khasra No. 1119, 1125, Village Noor Nagar, Loni, Ghaziabad by M/s Milan Infrastructure & Developers Pvt Ltd.**

Sir,

I am directed to refer to your letter No. 2010/NN/AAI/01 dated 12.07.2011 on the above subject and to say that Air HQ has no objection for construction of buildings for housing complex at Khasra No. 1119 & 1125, Noor Nagar, Loni, Ghaziabad by M/s Milan Infrastructure and Developers Pvt Ltd, subject to the following conditions:-

a) The vertical extent (highest point) of the buildins shall not exceed 47.5 meters above ground level/ 259.5 meters above mean sea level.

b) Standard obstruction lightings to be provided by the company. The lights shall be switched 'ON' during night and poor visibility. Provision shall be made for standby power supply to the light to keep them 'ON' during power failure.

c) Periodic maintenance of obstruction lights is to be carried out by the company at regular intervals to keep them in visible/serviceable condition.

d) A garbage treatment plant shall be installed prior to the construction of buildings for the purpose of avoiding bird activity. The plant shall be shown to the AOC/his nominated representative at AF Stn Hinddan on installation.

e) The commencement, completion of works inclusive installation of obstruction lights shall be intimated to AOC, AF Stn Hindan.

f) The validity of this NOC is three years from the date of issue. If the construction for which NOC has been issued. does not complete within three years of issue or found to be in deviation from original proposal the NOC shall be deemed null and avoid. It will be the responsibility of the applicant to obtain fresh NOC for the proposal.

g) Required security clearance should be obtained through MHA/IB of the foreign Nationals/Indian representative employed/to be employed by the company in India.

2. You are also requested to obtain No Objection from other concerned Government Organization/Agencies as required.

Yours faithfully,

(A.S. Chowdhury)
Under Secretary to the Government of India

By Regd Post
Wg Cdr

Tele: 011-23060231/5216
Fax : 011-23792016

Air Headquarters
Vayu Bhavan
Rafi Marg
New Delhi -110 106

Air HQ/S 17726/4/ATS (Ty BM - CMLXVI)

21 Nov 12

Mr. Yagvadatt Tyagi
M/s Milan Infrastructure & Developers (P) Ltd
Plot No. 20
I Floor
Sector -14
Kaushambi
Ghaziabad 201010
UP

ISSUE OF NOC FOR CONSTRUCTION OF BUILDINGS FOR GROUP HOUSING AT KH NO. 1119 & 112, NOOR NAGAR, PARGANA LONI, GHAZIABAD

Sir,

1. Reference is made to your letter 2010/NN/AAI/01 dated 10 Feb 11.

2. Annexed please find an ink signed copy of 'No Objection Certificate' on the subject issued vide GoI letter MoD No. Air HQ/S 17726/4/ATS (PC-DCCCXXXVII)/ Dy.No.621/F/D(Air-II) dated 17 Nov 12. You may please acknowledge the receipt of this letter.

(A Mudgal)
Wg Cdr
JD Ops (ATS)

Annexure: As stated (ink signed copy)

कार्यालय संयुक्त निदेशक फा0स0 मुख्यालय लखनऊ।

पत्रांकःआर–28 / जे0डी0 / लखनऊ–13(गा0बाद) / 355 दिनांकः अक्टूबर 27 ,2013

सेवा मे,

सहायक अभियन्ता,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषयः मैसर्स विभोर वैभव इन्फाहॉम प्रा0लि0 व मिलन इन्फास्ट्रेक्चर डवलपर्स प्रा0 लि0 एवं अन्य द्वारा खसरा संख्याः 1119 व 1125 ग्राम नूरनगर जिला गाजियाबाद मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निमार्ण हेतु संशोधित मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 534 / एम0पी0 / 13 दिनांकः 17–5–2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कष्ट करे जिसके अनुपालन मे आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना दिनांकः 21–10–2013 के माध्यम से प्रश्नगत आवासीय भवन के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद से कराया गया तथा उनकी आख्या दिनांकः 26–10–2013 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा कर अपनी आख्या उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ को उपलब्ध करायी गयी जिसका उनके द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः–

1– कुल प्लाट एरिया–27,124.00 वर्ग मी0 है।

2– भूतल कवर्ड एरिया (निर्मित एवं प्रस्तावित)–5507.06 वर्ग मी0 है एवं प्रश्नगत भवन को समांक पत्र दिनांकः 13–02–2013 के माध्यम से निर्गत किया गया है जिसका विवरण निम्नवत हैः–

कमांक	नाम ब्लाक		स्टिल्ट / भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0		तलो की संख्या		कुल कवर्ड एरिया वर्ग मी0 मे		ऊँचाई मी0 मे	
	पूर्व मे	वर्तमान मे	पूर्व मे स्वीकृत	वर्तमान मे प्रस्तावित	पूर्व मे स्वीकृत	वर्तमान मे प्रस्तावित	पूर्व मे स्वीकृत	वर्तमान मे प्रस्तावित	पूर्व मे	वर्त
1	ब्लॉकए0–1	एस	1086.41	924.34	स्टिल्ट एव 10 तल	2बी+एस+14 तल	8940.39	12629.55	33.250	44.75
2	ब्लॉकए0 -2	टी	1018.95	854.374	स्टिल्ट एव 10 तल	2बी+एस+14 तल	8267.86	11792.756	33.250	44.75
3	ब्लॉकबी0–1	यू	1018.95	854.374	स्टिल्ट एव 10 तल	2बी+एस+14 तल	8267.86	11792.756	33.250	44.75
4	ब्लॉकबी0–2	वी	894.91	924.34	स्टिल्ट एव 11 तल	2बी+एस+[illegible] तल	7726.61	12629.55	36.300	44.75
5	ब्लॉकसी0	सी	निर्मित– 349.675 प्रस्तावित– 761.578	273.146	स्टिल्ट एव 05 तल	एस+04 तल	5997.32	1365.73	17.900	14.95
6	ब्लॉक–डी0	डी	निर्मित– 273.146	273.165	स्टिल्ट एव 04 तल	एस+4 तल	1125.55	1397.704	14.850	14.95
7		ब्लाक ए0		1207.952	–	2बी+एस+07 तल	–	8956.80	–	23.80
8	कन्वीनियेन्ट शापिंग	ब्लाक ए0 के भूतल मे						195.388		

बेसमेन्ट– अपर एवं लोवर बेसमेन्ट एरिया (निर्मित एवं प्रस्तावित)–11,754.143 वर्ग मी0 प्रत्येक।

भवन का अधिभोग विवरणः–

प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी–2005 आवासीय श्रेणी ए0–4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1– पहुच मार्गः– भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 24 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है, जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है।

2–प्रवेश द्वारः–प्रश्नगत भवन मे प्रवेश द्वार की चौडाई 6.00 मी0 है।

3–सैटबेकः– प्रस्तावित भवन के ब्लाक एस0टी0यू0व वी का सैटबेक निम्नवत हैः–

अग्रभाग–13.00 मी0।

पृष्ठ भाग–13.00 मी0।

पार्श्व भाग प्रथम–13.00 मी0।

पार्श्व भाग द्वितीय–13.00 मी0 प्रस्तावित है।

शेष टावरों (ए0 सी0 एवं डी0)मेः–

अग्रभाग–09.00 मी0।

पृष्ठ भाग–06.00 मी0।

पार्श्व भाग प्रथम–06.00 मी0।

पार्श्व भाग द्वितीय–08.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन के सैटबेक विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3– निकास मार्गः– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे 02 स्टेयरकेश प्रस्तावित है जिनकी चौडाई 1.5 एवं 1.25 मी0 एन0बी0सी.0 के अनुसार प्रस्तावित है, टावर–ए0 मे 03 स्टेयर जिनमे 02 स्टेयर 1.5 मीटर एवं एक 1.25 मीटर चौडाई का प्रस्तावित है तथा टावर सी व डी मे 01–01 स्टेयर चौडाई 1.5 मीटर प्रस्तावित है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा।

4– रिफ्यूज एरियाः– भवन मे रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट मे बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

5– इण्टरडिस्टेन्स बिटवीन ब्लाकः– ब्लाकों के मध्य दूरी के सम्बन्ध मे निर्णय जी0डी0ए0 द्वारा लिया जाना अपेक्षित है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः– प्रश्नगत भवन मे एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉच्छनीय है।

1–भूमिगतः– प्रश्नगत भवन मे अग्निशमन 75,000 लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

2–पम्पसः– भूमिगत टैंक के पास 1620 एल0पी0एम0 क्षमता का 02 अदद मेन पम्प, समकक्ष क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद 180 एलपीएम क्षमता का जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।

3–टेरिस टैंकः ब्लाक सी0डी0 एवं ए0 की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 ली0 एवं शेष समस्त ब्लाक की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 दस हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

4–टेरिस पम्पः ब्लाक सी0डी0ए0 की टेरिस पर टैंक के पास 900 एल0पी0एम0 क्षमता का टेरिस पम्प स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

5–होजरीलः– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक/टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–वेटराईजर कम डाउनकामरः– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का राइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रेन्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन के दोनो बेसमेन्ट एवं स्टिल्ट मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

8–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः–समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

9–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।

10–स्मोक एक्स्ट्रेक्शनः– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

11–एग्जिट साईनेजः– सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साईनेजएन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

12–पी0ए0 सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

के श्रोत से संयोजित किया जाना।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना। उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से रख-रखाव व संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग से अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स विभोर वैभव इन्फाहॉम प्रा0लि0 व मैसर्स गिलन इन्फास्ट्रेक्चर डवलपर्स प्रा0 लि0 एवं अन्य द्वारा खसरा संख्या 1119 व 1125 ग्राम नूरनगर जिला गाजियाबाद मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निमार्ण हेतु पुनरीक्षित मानचित्रो की प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र 25 अदद।

(पी0के0राव)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय
लखनऊ।
संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय

प्रतिलिपिः1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3–अग्निशमन अधिकारी कोतवाली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4–मैसर्स विभोर वैभव इन्फाहॉम प्रा0लि0 व मैसर्स गिलन इन्फास्ट्रेक्चर प्रा0 लि0 को अनुपालनार्थ।

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, DELHI
NEW DELHI-110016, INDIA

Dr. Alok Madan
B.Tech (IIT Delhi) Ph.D. (USA), Member, ASCE
INAE Young Engineer, 2001
Professor
Department of Civil Engineering

Phone : 091-011-26591237 / 265915
Fax : 091-011-26581117 / 268620
E-mail : madan@civil.iitdernet

Ref.: AM/CE/IITD/VVIP/2013/1

CERTIFICATE

Ref. Your Letter No.: SSSPL/IIT/GH/2013-14/7 dated 23/09/2013

Structural design calculations and drawings for M/S Vibhor Vaibhav Infrahome Pvt. Ltd & M/S Milan Infrastructure & Developers Pvt. Ltd. for proposed C/O Group Housing Project "V.V.I.P. Addresses & Milan Earth" at Khasra No. 1119, 1125 at Village Noor Nagar Ghaziabad (U.P.) were submitted by M/s. Swati Structure Solution Pvt. Ltd. to IIT Delhi for checking the design adequacy.

The structural design and drawing has been checked and corrected for compliance with the provisions of relevant Indian Standards. Discussions were also held with the Consultant. Clarifications were given by the Design Consultant on all the queries.

The revised structural design and drawings submitted to IIT Delhi are adequate in accordance with the provisions of relevant Indian Standard codes of practices for design of reinforced concrete buildings IS: 456, IS 1893 and IS 13920. The design calculations and drawings stamped by IIT Delhi showing framing plan, foundation plan, general arrangement, concrete member sizes and reinforcement are duly approved for submission (documentation) purpose only.

The responsibility of the Indian Institute of Technology Delhi shall be limited to technical advice as above. All procedural/legal/operational matters will be the responsibility of the company.

Sincerely,

Alok Madan

Alok Madan

Approved
Alok Madan

Dr. ALOK MADAN
PROFESSOR
Department of Civil Engineering
Indian Institute of Technology, Delhi
Hauz Khas, New Delhi-110016

PROJECT: GROUP HOUSING PROJECT "V.V.I.P. ADDRESSES & MILAN EARTH" AT KHASRA NO. 1119 , 1125 AT VILLAGE NOOR NAGAR GHAZIABAD (U.P.)

BASIC DESIGN DATA FOR BLOCK-A

DETAIL OF STRUCTURE

NO. OF STOREY	= DOUBLE BASEMENT + STILT + 8 STOREY
HT. OF TYP. FLOOR	= 3.00 M
TYPE OF FOUNDATION	= RAFT FOUNDATION

IMPOSED LOADINGS (AS PER IS 875 PART 2 -1987)

1.	LIVE LOAD ON TERRACE (UNAPPROACHABLE)	= .75 KN/M^2
2.	LIVE LOAD ON TERRACE (APPROACHABLE)	=1.5 KN/M^2
3.	LIVE LOAD ON BALCONY & PASSAGE	= 3 KN/M^2
4.	LIVE LOAD ON STAIR CASE	= 3 KN/M^2
5.	LIVE LOAD TOILETS, BATHROOMS & BED ROOM	2 KN/M^2
6.	LIVE LOAD AT KITCHEN	= 2 KN/M^2
7.	LIVE LOAD ON STILT	= 5 KN/M^2
8.	LIVE LOAD ON LIFT MACHINE ROOM	= 10 KN/M^2
10.	FIRE TENDER LOAD	20 KN/M^2

* SEISMIC CO-EFFS (AS PER IS 1893 (PART 1):2002
Z =0.24(FOR ZONE IV), I= 1.0

* PERCENTAGE OF IMPOSED LOAD TO BE CONSIDERED IN SEIS. WT. CALCULATION 25% & 50%

* TYPICAL FLOOR DEAD LOAD CALCULATION OF SLAB (125mm)

a) SELF WT OF SLAB	.125 X 25	3.125 KN/M2
b) FLOOR	.05 X 24	1.2 KN/M2
c) CEILING PLASTER	.006 X 20	.12 KN/M2
TOTAL LOAD	4.44 KN/M2	SAY 4.45 KN/M2

Sadanand Ojha

ER. SADANAND OJHA
ME (Civil)
Structural Consultants

* TOILET DEAD LOAD CALCULATION OF SLAB (125 mm)

a) SELF WT OF SLAB	= .125 X 25 = 3.125 KN/M2
b) FLOOR	= .05 X 24 = 1.2 KN/M2
c) CEILING PLASTER	= .006 X 20 = .12 KN/M2
d) FILLING	= .05 X 20 = 1 KN/M2
TOTAL LOAD	= 5.445 KN/M2 = SAY 5.45 KN/M2

* TERRACE DEAD LOAD CALCULATION OF SLAB (125 mm)

a) SELF WT. OF SLAB	= .125 X 25 = 3.125 KN/M2
b) FLOOR (BRICK COBA)	= .12 X 20 = 2.4 KN/M2
c) CEILING PLASTER	= .006 X 20 = .12 KN/M2
TOTAL LOAD	= 5.645 KN/M2 = SAY 5.65 KN/M2

*SUPERIMPOSED LOADS ON BEAMS

1. 230 MM THICK WALLS	= 5 KN/M RUN/M HEIGHT
2. 115 MM THICK WALLS	2.75 KN/M RUN/M HEIGHT

WALL LOAD (115 THICK) ON BEAMS

1.) HEIGHT OF FLOOR (MAX)	3.05 M
DEPTH OF BEAM (AVERAGE)	0.45 M
LOAD PER METER RUN	(3.05 -.45) X 2.7
	7.02 KN/M

10% REDUCTION DUE TO BEAM &COL JOINT(WITHOUT OPENING) = 7.02X0.9=6.32 KN/M

20% REDUCTION DUE TO BEAM &COL JOINT(WITH OPENING) 7.02X0.8=5.62 KN/M

WALL LOAD (230 THICK) ON BEAMS

1.) HEIGHT OF FLOOR	3.050 M
DEPTH OF BEAM (AVERAGE)	0.45
LOAD PER METER RUN	(3.05-0.45) X 5.0
	13.0 KN/M

10% REDUCTION DUE TO BEAM &COL JOINT(WITHOUT OPENING) = 13.0X0.9=11.70 KN/M

20% REDUCTION DUE TO BEAM &COL JOINT(WITH OPENING) = 13.0X0.8=10.4 KN/M

CONCRETE MIXES (ALL RCC WORK)

=M25(BASEMENT,GROUND,1ST AND 2ND FLOOR
=M25(3RD ,4TH ,5TH AND 6TH FLOOR)
=M25(7TH FLOOR TO TERRACE)

GREAD OF STEEL

Fe 500 for 12, 16, 20, 25, 32mm dia bars
Fe 415 for 7, 8, 10 mm dia bars

CODES TO BE FOLLOWED FOR DESIGNS

1. **I.S 875, I.S 800-2000, I.S 1893(PART 1):2002, I.S 4326, IS13920, SP-34, SP-16**

Sadanand
ER. SADANAND OJHA
ME (Civil)
Structural Consultants
Swati Structure Solution Pvt. L
H. O. 503, Sachdeva Corporate T
Plot No. 8, Community Cent
Rohini, Delhi-110

न्यायालय परगनाधिकारी गाजियाबाद

न्यायालय उप जिलाधिकारी / सहायक कलेक्ट्रर (प्रथम श्रेणी) गाजियाबाद

वाद संख्या 03 / 2011–12 — अन्तर्गत धारा 143 उ0प्र0ज0वि0अ0

ग्राम नूरनगर — परगना लौनी — तहसील व जिला गाजियाबाद

विगोर वैभव इन्फ्राहोम प्रा0लि0 आदि — बनाम — उत्तर प्रदेश सरकार

निर्णय 29/11/2011

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही विगोर वैभव इन्फाहोम प्रा0लि0, रजिस्ट्रर्ड आफिस एस–551 स्कूल ब्लॉक शकरपुर दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी संजीव त्यागी मैसर्स मिलन इन्फ्रास्ट्रेचर एण्ड डवलपर्स प्रा0लि0 पता ए–15 विकास मार्ग नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर नवीन त्यागी वेद सिंह पुत्र नानक चन्द निवासी ग्राम नूरनगर सिहानी गाजियाबाद तथा यज्ञदत्त त्यागी पुत्र स्व ओमदत्त त्यागी व अरविन्द त्यागी पुत्र ओमदत्त त्यागी व श्रीमति कमला देवी पत्नी स्व ओमदत्त त्यागी निवासीगण ग्राम नूरनगर सिहानी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनॉक 29–10–2011 जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश ओर भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि वादी द्वारा स्थित ग्राम नूरनगर परगना लौनी तहसील व जिला गाजियाबाद की खतौनी वर्ष 1415 ता 1420 के खाता नम्बर 436 खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.2760 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1125 / 4 रकबा 0.2760 हैक्टेयर खाता नम्बर 436 खसरा नम्बर 1125 / 4 रकबा 0.3372 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1125 / 5 रकबा 0.3372 हैक्टेयर खाता नम्बर 436 खसरा नम्बर 1125 / 5 रकबा 0.7430 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1125 / 4 रकबा 0.7430 हैक्टेयर के मालिक काबिज संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे वादी का नाम दर्ज है। वर्णित खसरा नम्बर की भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त खसरा नम्बर से सम्बन्धित खतौनी वर्ष 1415 ता 1420 की सत्यप्रति दाखिल की गयी है।

वादी का प्रार्थना पत्र जॉच हेतु तहसीलदार गाजियाबाद को भेजा गया, के परिप्रेक्ष्य में जॉच नायब तहसीलदार (पू0) गाजियाबाद द्वारा करके दिनॉक 08–11–2011 को तहसीलदार गाजियाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा दिनाक 14–11–2011 को अपनी संस्तुति द्वारा जॉच आख्या जो उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0 अधि0 की धारा 143 के साथ पठित नियम 135 मे विहित प्रारूप दिनांकित 14–11–2011 सहित प्रेषित की गयी है तथा जिसमें उद्धरित किया है। कि खतौनी वर्ष 1415 ता 1420 फसली के खाता नम्बर 436 खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.2760 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1125 / 4 रकबा 0.2760 हैक्टेयर खाता नम्बर 436 खसरा नम्बर 1125 / 4 रकबा 0.3372 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1125 / 5 रकबा 0.3372 हैक्टेयर खाता नम्बर 436 खसरा नम्बर 1125 / 5 रकबा 0.7430 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1125 / 4 रकबा 0.7430 हैक्टेयर राजस्व अभिलेखो मे वादी के नाम अंकित हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शा स्वीकृत है उक्त खसरा नम्बरो में ग्रुप हाउसिंग प्रस्तावित है। वहां कोई कृषि कार्य नही हो रहा है। प्रस्तुत आख्या को तहसीलदार गाजियाबाद द्वारा अपनी आख्या दिनॉक 14–11–2011 मे वर्णित भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है के आधार पर वाद योजित किया गया।

प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने के सम्बन्ध मे प्रश्नगत भूमि का मानचित्र स्वीकृत संख्या 709–617 / जी.एम.पी. / आर.जी.एच. / 2011–12 दिनांक 17–10–2011 जिसकी छाया प्रति सत्यापित कराकर वादी द्वारा अपने शपथ पत्र के साथ दाखिल की गयी से पूर्व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 618 / मा0 प्लान / 11 दिनांक 29–08–2011 के द्वारा नगर निगम गाजियाबाद से आख्या मांगी गयी , जिसके सम्बन्ध में नगर निगम

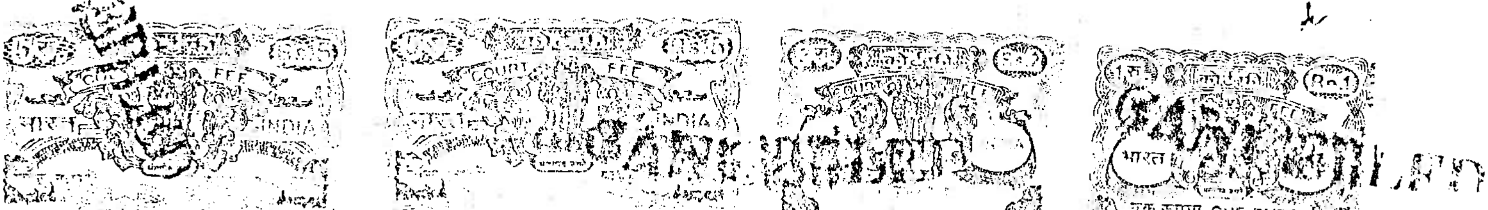

गाजियाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या 325/सम्पत्ति/2011 12 दिनांक 04 1 2011 के द्वारा अनापत्ति प्रस्तुत की गयी है जिसमे कहा गया है कि वांछित भूमि खसरा नम्बर 1117,1119,1120,1125,1126,1146, 1147 स्थित ग्राम नूरनगर एवं खसरा नम्बर 853,854 व 856 स्थित ग्राम सद्दीकनगर नगर निगम सम्पत्ति नही है। ऐसी स्थिति मे पुनः आख्या की आवश्यकता नही है। वाद को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने का कोई औचित्य नही है। अतः वाद का निस्तारण पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर किया जाना विधिसम्मत है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान नामिका वकील राजस्व द्वारा विद्वतापूर्ण प्रस्तुत तर्को का अनुश्रवण करने तथा पत्रावली का अध्ययन एवं परिशीलन करने के उपरान्त न्यायालय के संज्ञान मे यह तथ्य आया है कि संदर्भित भूमि खसरे का उपयोग कृषि कार्यो के लिए नही हो रहा है। इसलिए संदर्भित भूमि को उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 की धारा 143 के तहत अकृषिक घोषित किया जाना उचित है। परन्तु स्थानीय विकास प्राधिकरण /निकाय के प्राविधान बाधक न हो इस हेतु संदर्भित भूमि के किसी भी प्रकार का विकास व निर्माण तथा भू-उपयोग परिवर्तन करने से पूर्व विकास प्राधिकरण अथवा स्थानीय निकाय से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है।

राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 लखनऊ संख्या 8104 [illegible] दिनाँक 28-01-2004 मे यह व्यवस्था दी गयी है। कि कृषि भूमि का भू उपयोग परिवर्तित होने पर उप-जिलाधिकारी द्वारा अभियान चलाकर स्वप्रेरणा से धारा 143 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायगी प्रश्नगत आराजी गैर कृषि उपयोग हेतु प्रयो किया जाता है। माल अभिलेखो मे कृषि दर्ज होने के कारण स्टाम्प अपवंचना हो रही है।

राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 लखनऊ संख्या 6416/जी-5-225/0 दिनांक 8-2007 के द्वारा निर्देशित किया गया है। कि संकमणीय भूमिधर वाला भूमिधर अपने खाते या उसके भाग को कृषि उद्यानीकरण अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है से असम्बद्ध प्रयोजन के निमित्त प्रयुक्त करता है तो परगने का इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर स्वयमेव अथवा प्रार्थना पत्र पर जाँच कर प्रख्यापन कर सकता है। इस सम्बन्ध मे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 143 मे प्राविधान हैं कि धारा 143 के प्रख्यापन की एक प्रतिलिपि सब रजिस्ट्रार को भेजी जाय जिसे वह इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 मे किसी बात के रहते हुए भी उसे बिना शुल्क और नियत रीति से निबंधित कर लेगा। यह भी निर्देशित किया गया है कि प्रख्यापन कर स्टाम्प के रूप मे राजस्व का अपवंचन रोका जाय। अतः शासनादेशो के अनुपालन मे [illegible] अकृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक के कार्यवृत्त संख्या [illegible] 25-09-2007 के बैठक मे निर्देश दिये हैं कि जनपद के नगर निकाय सीमा से लगे क्षेत्रों में हो रहे शहरीकरण को दृष्टिगत बिल्डर्स आदि द्वारा क्रय की जा रही भूमि का सर्वे कराकर उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत आबादी घोषित करने की कार्यवाही अभियान चलाकर करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त तथ्य के दृष्टिगत न्यायालय का अभिमत है कि संदर्भित भूमि को इस प्रतिबन्ध के साथ 'के विकास प्राधिकरण अथवा स्थानीय निकाय के विकास निर्माण व भू-उपयोग परिवर्तन तथा भू-अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) संबन्धी प्राविधान पूर्व की भाँति यथावत लागू रहेगे । यदि प्रश्नगत भूमि के मध्य धारा 132 मे

[illegible]

वर्णित अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि स्थित है या अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति की भूमि को बिना अनुमित क्रय /विक्रय करने की नियत से धारा 143 उ0प्र0ज0वि0अ0 का प्रख्यापन कराया जा रहा है। तो उस पर इस आदेश का कोई प्रभाव नही पडेगा। शासनादेश के अनुपालन एवं स्टाम्प के अपवचन से राजस्व की क्षति को रोकने के लिए उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत प्रख्यापन किया जाना अभीष्ट एवं न्यायोचित है।

इस्लिल आदेश 29/11/2011

अतः ग्राम नूरनगर परगना लौनी के खाता खतौनी वर्ष 1415 1420 फसली के खाता नम्बर 436 खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.2760 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1125/4 रकबा 0.2760 हैक्टेयर खाता नम्बर 436 खसरा नम्बर 1125/4 रकबा 0.3372 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1125/5 रकबा 0.3372 हैक्टेयर खाता नम्बर 436 खसरा नम्बर 1125/5 रकबा 0.7430 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1125/4 रकबा 0.7430 हैक्टेयर स्थित ग्राम नूरनगर परगना लौनी के मध्य खसरा नम्बर 1121 नाली की भूमि को छोडकर वादी के स्वामित्व की संक्रमणीय भूमि को तहसीलदार गाजियाबाद की आख्या शासनादेशो के क्रम मे स्टाम्प अपवचना रोकने के उद्देश्य से इस प्रतिबन्ध के साथ कि विकास प्राधिकरण अथवा स्थानीय निकाय के विकास एवं निर्माण व भू–उपयोग परिवर्तन तथा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) संबन्धी प्राविधान पूर्व की भॉति यथावत लागू रहेगे अकृषिक घोषित किया जाता है। यदि प्रश्नगत भूमि के मध्य धारा 132 मे वर्णित अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि स्थित है या वर्णित भूमि अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति की भूमि है, और बिना अनुमित क्रय /विक्रय करने की नियत से धारा 143 उ0प्र0ज0वि0अ0 का प्रख्यापन कराया जा रहा है तो उस पर इस आदेश का कोई प्रभाव नही पडेगा। वादी को निर्देशित किया जाता है। कि वह कोई भी निर्माण कार्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकारी की अनुमित के बगैर नही करेगा तथा भू–उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी अग्रेत्तर कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के समक्ष करेगा। आदेश की प्रतिलिपि तहसीलदार गाजियाबाद को अभिलेखो मे अंकित किये जाने हेतु भेजी जावे एवं इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति उप निबन्धक गाजियाबाद को उ0प्र0ज0वि0 एव भू0व्य0अधि0 की धारा 143 सपठित नियम 137 मे अपेक्षा के अनुरूप इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत निबंधन हेतु इस आशय से भेजी जाय कि अपना अनुलेख लिपिबद्ध करने के बाद कि यथावत निबन्धित (दैनिक रजिस्टर मे) कर दिया गया है, अपने हस्ताक्षर सहित इस न्यायालय को लौटा दे। इस न्यायालय की पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त अभिलेखागार मे संचित हो।

दिनांकः– 29–11 2011

(शिव कुमार)
उपजिलाधिकारी
सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)
गाजियाबाद।

आज यह आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर न्यायालय की मुद्रा सहित उदघोषित किया गया।

दिनांकः– 29–11–2011

उपजिलाधिकारी
सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)

1. आवेदन का दिनांक 36/29-11-2011
2. प्रार्थना की तैयारी का दिनांक 01-12-11
3. नकल की तिथि 01-12-2011
4. स्टाम्प की कीमत 75/-

जॉच कर्ता ......
तुलना कर्ता ......

ATTESTED
07-12-2011
READER
S.D.O./S.D.M.
GHAZIABAD

कार्यालय सहायक अभियन्ता नलकूप उपखण्ड प्रथम, गाजियाबाद

पत्रांक सं0 ..820........ दिनांक..30-12-13

निदेशक,
मिलन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड डेवलपर्स
प्रा० लि०
20, फर्स्ट फ्लोर, सैक्टर-14 कौशाम्बी
गा० बाद

आपके पत्र दिनांक ..24-12-2013 जो पेयजल के उद्देश्य से भूगर्भ जल के उपयोग हेतु नलकूप उपखण्ड प्रथम गाजियाबाद से अनुमति प्राप्त करने हेतु लिखा गया है संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त क्रम में अवगत कराना है कि ग्राम नूरनगर के परित्यक्त नलकूप सं0 16 जीजी के कमाण्ड में खसरा सं0- 1125/4, 1125/5 पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग सोसायटी मिलन अपर सोसायटी पर बोर वैल लगाये जाने हेतु सुरक्षित श्रेणी में है इस खसरा नं0- 1125/4, 1125/5 में पेयजल हेतु बोर वैल लगाये जाने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं ।

सहायक अभियन्ता
नलकूप उपखण्ड प्रथम गाजियाबाद
गाजियाबाद।

गाजियाबाद नगर निगम

सेवा में,

नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

पत्रांकः- [illegible] /सम्पत्ति/2010-11 दिनांकः- [illegible]

विषयः- श्री यज्ञदत्त त्यागी एवं अन्य द्वारा 1119 एवं 1125 ग्राम नूरनगर की भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग मानचित्र पर अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-97/मा0 प्लान/10 दिनांक 05.04.10 के सन्दर्भ में अवगत कराना है, कि खसरा नं0- 1119 व 1125 ,गाजियाबाद नगर निगम की सम्पत्ति नहीं है, किन्तु इस भूमि के मध्य खसरा नं0-1121 की लगभग 0.025 है0 भूमि नाली सरकारी टयूबवैल की आ रही है, के बदले श्री यज्ञदत्त त्यागी द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर अपने खसरा नं0-1119 क्षेत्रफल 0.025 है0 भूमि चकमार्ग के पास छोडने की व्यवस्था दी है, के अनुसार इनके द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में संशोधन करते हुये संशोधित मानचित्र की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

तहसीलदार,
गाजियाबाद नगर निगम।